ग्राम पंचायत, डोबरी सालवाला, विकास खण्ड पांवटा साहिब ज़िला सिरमौर के
लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग–I1

1 **(क) प्रस्तावना:–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, डोबरी सालवाला, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान:–

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री दीप चन्द	23.01.2011 से 22.01.2016 तक
2	श्रीमती मालती देवी	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:–

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री सोमपाल	01.04.2014 से 26.03.2015 तक
2.	श्री प्रमोद शर्मा	26.03.2015 से 08.06.2016 तक
3.	श्री विनोद ठाकुर	09.06.2016 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत, डोबरी सालवाला के लेखाओं का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने	0.34

		के कारण अन्तर	
2	8(i)	गृहकर की वसूली शेष	0.41
3	8(ii)	मोबाइल टावर शुल्क की वसूली शेष	0.04
4	9	अनुदान राशी का उपयोग न करना	9.28
5	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	10.69
6	11	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	10.69
7	12(i)	रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online पाया गया अधिक भुगतान	4.86
8	12(ii)	वितीय वर्ष 2016-17 में रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान व् ऑनलाइन भुगतान में अन्तर	0.92
9	13(i)	निर्माण कार्यो पर किये गए व्यय का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किये गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	16.27
10	13(ii)	तकनीकी प्राक्कलन से अधिक मात्रा की सामग्री का क्रय कर राशि का संदिग्ध दुर्विनियोजन	0.04
11	14	बिना बिल/वाउचर के भुगतान-आहरित राशि का संभावित दुरुपयोग	2.28
12	15	मनरेगा योंजना से अधिक आहरित की गई राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.20
13	16	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान	1.84
14	19	राशि का सामान्य निधि खाते से दूसरी योजनाओं को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरण को वापिस न करना	2.79

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.17 से 02.12.2017 को ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2014-15	12/2014	12/2014
2015-16	10/2015	03/2016
2016-17	10/2016	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पांवटा साहिब/2017-18-15 दिनांक 02.12.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-1 के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	---------	----------	----------	-----------	-----------
2015-16	---------	51925.00	51925.00	52215.00	(-)290.00
2016-17	(-)290.00	143369.00	143079.00	86860.00	56219.00

नोट:- **(i)** सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि की रोकड़ बही का वर्ष 2014-15 के दौरान संधारण नहीं किया गया था, इसी कारण उपरोक्त वितीय स्थिति में वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्ति व् भुगतान शून्य दर्शाए गए है।

(ii) सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वः के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस कारण पंचायत निधि की उपरोक्त वितीय

स्थिति वर्ष 2015-16 में ऋणात्मक शेष दर्शा रही है, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है । अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2A}** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	555821.22	1716045.00	2271866.22	1861157.00	410709.22
2015-16	410709.22	1726720.00	2137429,22	1563896.18	573533.04
2016-17	573533.04	6041187.00	6614720.04	5686895.00	927825.04

नोट :- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.34 लाख का अन्तर:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अपेक्षित था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹33,765** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया

जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्वः स्त्रोत	56219.00	1
2.	अनुदान	927825.04	2
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	984044.04	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	1357288.04	4
5.	**अन्तर**	**373244.00**	
6.	**परिशिष्ट-5 अनुसार अन्तर**	**339479.00**	**5**
	शेष अन्तर	**33765.00**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा

क्रमांक	अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, PURUWALA	56410102495	281987.04
2.	BRGF	-----do------	56410103064	12534.00
3.	MANREGA	-----do------	56410102499	------------
4.	IAY	-----do------	56410102492	272741.00
5.	RAY	-----do------	56410107351	33838.00
8.	14th FC	-----do------	56410110070	755060.00
			बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि	**1356160.04**
			हस्तगत शेष (सामान्य निधि)	**868.00**
			हस्तगत शेष (मनरेगा)	**260.00**
			31.03.2017 को कुल शेष राशि	**1357288.04**

6 वितीय वर्ष 2014-15 में सामान्य निधि में प्राप्त राशि तथा व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि खाते में वितीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त/आहरित की गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जबकि संलग्न **परिशिष्ट-5** के अनुसार उक्त अवधि में सामान्य निधि के बचत खाता संख्या **56410102495** के अनुसार खाते में **`₹10,87,591** जमा तथा **₹748,112** का आहरण किया गया है। उक्त प्राप्ति व् भुगतान रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण इन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका जिस कारण उपरोक्त पैरा संख्या 5 की तालिका के क्रमांक: 6 पर वितीय स्थिति और बैंक शेष में **₹3,39,479** का अन्तर आया है, साथ प्राप्त राशि व् व्यय भुगतान की सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच की जा सकी। अतः उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अभिलेख को पुर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7 आय के स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है की ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से

बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए। यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला द्वारा उनके पत्र क्रमांक:GP/DS/2017-18-3 दिनांक 02/12/2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	20/- per year	2014-15
		20/- per year	2015-16
		20/- per year	2016-17
2	Land Revenue	---------	Received as per Govt. approved Rates
3	Shop Rent	2 No.	Encroached
4	Marriage registration fees	200/-	Registration within 30 days
		400/-	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	-----------
6	Liquor cess	-------	As per govt. rates

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ।

8 (क) गृहकर ₹0.41 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पांवटा साहिब/डोबरी सालवाला/2017-18-3 दिनांक 27/11/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक: क्रमांक:GP/DS/2017-18-3 दिनांक 02/12/2017 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/201 7 को निम्नतालिकानुसार **(परिशिष्ट-6)** ₹40735 वसूली हेतु शेष थी। अतः उक्त राशि की शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	705	20/-	14100/-	------	14100/-
2015-16	762	20/-	15240/-	------	29240/-
2016-17	801	20/-	16020/-	4625/-	40735/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**45360/-**	**4625/-**	**40735/-**

(ii). मोबाइल टावर फीस ₹0.04 लाख वसूली हेतु शेषः-

उपरोक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट-6** के क्रमांक: 3 पर दर्शायी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को **पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित Jio कम्पनी के** मोबाइल टावर की सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी से नियमानुसार **₹4,000** स्थापना शुल्क की वसूली योग्य शेष थी। अतः उक्त राशी को सम्बन्धित कम्पनी से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है ।

वर्ष	देय शुल्क	प्राप्त शुल्क	शेष	विवरण
2015	4000/-	--------	4000/-	स्थापना शुल्क @ 4000/-
31.03.2017 को वसूली योग्य कुल राशि			**4000/-**	

इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित ""**मांग एवं संग्रह रजिस्टर"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में ""**मांग एवं संग्रह रजिस्टर"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

9 अनुदान की ₹9.28 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से **₹9,27,825** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹10.69 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने

की औपचारिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक तथा ₹50,000. से कम राशि के क्रय हेतु **निविदाएँ (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा **₹50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित(Tenders)** किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा **निविदा/कोटेशन्स** आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा संलग्न {**परिशिष्ट-7**} में दिया गया है ।

11 10.69 लाख की क्रय की गई मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु परिशिष्ट7 के अनुसार क्रय की गई ₹1068734 की विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी ।

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

i) रोकड़ बही में दर्ज राशी से वर्ष 2014-15 व् 2015-16 के दौरान ₹4.86 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो हेतु किये गए भुगतान के बिल/वाउचरों के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹4,27,203** तथा वर्ष **2015-16** में **₹.58,592** अधिक है| उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशी को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत

निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन लाइन भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर अधिक भुगतान (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4) [2-3]	(5)	(6) [5-4]
2014-15	1426167	332544	1093623	1520826	427203/-
2015-16	460765	---------	460765	519357	58592/-
कुल	**1886932**	**332544**	**1554388**	**2040183**	**485795/-**

(ii) वितीय वर्ष 2016-17 में रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान व् ऑनलाइन भुगतान में ₹0.92 लाख का अन्तर:-

पैरा संख्या 12(i) के विपरीत वितीय वर्ष 2016-17 में रोकड़ बही में **₹11,05,349** का व्यय भुगतान दर्ज है जबकि उक्त अवधि में ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार **₹10,13,410.** का व्यय भुगतान पाया गया है, अतः रोकड़ बही में दर्ज राशि और ऑनलाइन भुगतान में जो **₹91,939.** का अन्तर पाया गया है उस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

13 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो पर व्यय किये गए व्यय भुगतान का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा **किये गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये बिना किया गया ₹16.27 लाख का भुगतान:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की गई **₹16,26,930** के सक्षम **तकनीकी प्राधिकारी** से करवाए गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था भी अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यदि उपरोक्त राशि का आहरण/भुगतान बिना मूल्यांकन के हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है। विकास कार्यों की सूचि {**परिशिष्ट-8**} के अनुसार बहुत से कार्य वर्ष 2014-15 या इससे भी पहले से शुरू किये गए है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे और न ही इन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय को तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित किया गया है, जोकि उक्त विकास कार्यों की सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके अभाव में दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए की कौन से कार्य पूर्ण हो गए है तथा कौन से कार्य प्रगति पर है तथा कौन से कार्य अधूरे/कितनी अवधि से

बन्द पड़े है और उन पर दर्शाया गया व्यय सही है या नहीं। अन्यथा, भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुदान	कुल व्यय भुगतान	विवरण
मनरेगा	862756	परिशिष्ट-8 पृष्ठ
14thFC	764174	
कुल	**1626930**	

(ii) तकनीकी प्राक्कलन से अधिक निर्माण सामग्री की खरीद करके ₹0.04 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की एक ही प्रकार/लागत के 3 शोचालयों के निर्माण हेतु तकनीकी प्राधिकारी द्वारा तैयार प्राक्कलन अनुसार {2.10 cum area x475इंटें प्रति cum=997} 1000 इंटों मात्रा की आवश्यकता थी। जबकि उक्त सभी निर्माण कार्यों में 1200 इंटों की खरीद दर्शायी गई है। इस प्रकार 6.30 प्रति ईंट की दर से एक शोचालय के निर्माण में {200x6.30=₹1260 तथा 3 शोचालयों के निर्माण पर **₹3780** का अधिक व्यय/भुगतान किया गया है। अतः प्राक्कलन में दी गई मात्रा से अधिक दर्शाया गया व्यय भुगतान अनियमित है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। निर्माण कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

नं	Name of Work	Sanctioned Amount
1	C/O Toilet, Puruwala	100000/-
2	C/O Toilet, Mehra Basti Puruwala	100000/-
3	C/O Toilet GHS, Salwala	100000/-

(iii). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये लाखों रूपये की माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी। जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या

नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

14 ₹2.28 लाख का बिना किसी बिल/वाउचर के भुगतान/आहरित कर संभावित दुरुपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्नतालिकानुसार चयनित माह में **₹227988** का भुगतान बिना बिल/वाउचरस के ही किया गया है क्योकि उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचरस अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही खरीदी गई सामग्री के उपयोग से सम्बन्धित स्टोर/स्टोक अभिलेख तथा उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः बिना बिल/वाउचरस तथा सामग्री की खपत से सम्बन्धित अभिलेख की अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान अनियमित है, जिसकी अधिकारिक जाँच की सिफारिश की जाती है, तथा भुगतान की पुष्टि न होने की स्थिति में उपरोक्त राशि तथा इसके अतिरिक्त बिना बिल/वाउचरस व् सम्बन्धित वांछित अभिलेख के किये गए अन्य भुगतानों की उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए, तथा भविष्य में अभिलेख का रख-रखाव नियमानुसार ही किया जाए ताकि उपरोक्त अनियमितताओं से सरकारी कोष को होने वाली हानि की सम्भावना को टाला जा सके। उपरोक्त भुगतान की राशि का ब्यौरा निम्न्तालिकानुसार है;

SNo.	Date	Name of Work/Vendor/Material MGNREGA	CH No.	Amount	CBP
1.	27.12.14	Jeep road main road to chamelu	EFMS	3255/-	18
2.	27.12.14	--------------- to house of virender	---do---	3255/-	19
3.	27.12.14	Irrigation kuhal Baldev ki hodi	---do---	3255/-	19
4.	27.03.16	Subhash Chand/Sand,Aggrigate	---do---	18048/-	3
5.	27.03.16	------do------/Sand,Aggrigate	---do---	20898/-	3
6.	27.03.16	------do------/Sand, Aggrigate	---do---	77724/-	3
7,	27.03.16	------do------/Sand, Aggrigate	---do---	31014/-	4
8.	27.03.16	------do------/Stones	---do---	30174/-	4
9.	27.03.16	------do------/Stone,Aggrigate	---do---	3030/-	4
10.	27.03.16	HPSCS, Corp./Cement	---do---	37335/-	3
		Total		**₹227988**	

15 मनरेगा योंजना से आहरित ₹0.20 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 13 दिनांक 19.06.2014 को ₹65,339 सामान्य निधि के खाता संख्या: 56410102495 को हस्तांतरित दर्शाए गए थे, उक्त राशि का सामान्य निधि खाते में जमा के सत्यापन पर पाया गया कि उक्त तिथि को सामान्य निधि खाते में केवल ₹45,339 ही जमा करवाए गए थे। उक्त बारे जाँच करने पर पाया गया की ₹65,339 मनरेगा खाते से सीधा सामान्य निधि खाते में हस्तांतरित न करके तत्कालीन सचिव श्री सोमपाल द्वारा चेक संख्या 8199582 द्वारा आहरित कर ₹45,339 मनरेगा खाते में जमा करवाए गए, व शेष **₹20,000** उपयोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस बारे छान- बीन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की उत्तरदायी से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 मस्टर रोल्स बिल्स को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्याँकन व प्रधान से पारित करवाए बिना ₹1.84 लाख का भुगतान:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया की चयनित **माह 12/2014** में मनरेगा योजना के अंतर्गत मस्टर रोल्स द्वारा **₹184492 का** भुगतान उक्त मस्टर रोल्स पर किये गए कार्य को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ही किया गया था, और न ही उक्त मस्टर रोल्स का भुगतान करने से पूर्व इन्हें प्रधान द्वारा पारित किया गया था। क्योंकि इन पर करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर-रोल्स द्वारा किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं, तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मुल्यांकन करवाया जाए, तथा भुगतान की गई राशि यदि मुल्यांकन से अधिक पाई जाती है तो उसे उत्तरदायी से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में मस्टर-रोल्स बिल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों द्वारा कार्य के सही एवम पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनकी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-9** पर संलग्न है।

17 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया

व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

18 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(क) जारी की गई रसीदों से छेड़-छाड़ कर एकत्रित राशि से ₹0.04 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की निम्न तालिकानुसार दर्शायी गई रसीदों **(क्रम संख्या 4 पर दर्शायी गई राशि काटकर क्रम संख्या 5 पर दर्शायी गई राशि बनाकर**) के साथ छेड़-छाड़ कर मेला नाग देवता के लिए एकत्र कर ₹3550 को कम जमा करवाया गया प्रतीत होता है, जोकि पंचायत को प्राप्त हुई आय का संदिग्ध दुर्विनियोजन प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, अंकेक्षण आपति सही पाए जाने की स्थिति में कम जमा करवाई गई राशि को सम्बन्धित से दंड ब्याज सहित वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उक्त जारी की गई रसीदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है ।

दिनांक	रसीद संख्या	दान देने वाले का नाम	वास्तविक राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.10.14	97222	सुधीर	500/-	400/-	100/-
4.10.14	97224	सियाराम	300/-	200/-	100/-
4.10.14	97226	इरशाद	500/-	400/-	100/-
5.10.14	97236	अकरम	2700/-	1700/-	1000/-
5.10.14	97285	विनोद गुप्ता	2500/-	250/-	2250/-
		कम जमा करवाई गई राशि	**6500/-**	**2950/-**	**3550/-**

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पुर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया की रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई काट/छांट तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है ।

(घ) रसीद बुक संख्या 97160 की पड़ताल के दौरान पाया गया की उक्त रसीद के क्रम संख्या 61 से 88 तक निम्नानुसार ₹595 एकत्रित की गई है जिसका उक्त अवधि 2014-15 की सामान्य निधि की रोकड़ बही संधारित न होने के कारण सम्बन्धित अभिलेख के साथ जाँच/मिलान नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त के अतिरिक्त वितीय वर्ष 2014-15 में स्वः स्त्रोत/अनुदानों से प्राप्त राशि की पुर्णतः जाँच कर अंकेक्षण को वास्तविक स्थिति से अवगत करना सुनिश्चित किया जाए।

19 सामान्य निधि खाते से दूसरी योजनाओं को हस्तांतरित ₹2.79 लाख को निधि में वापिस हस्तांतरित न करना:-

अंकेक्षण ज्ञापन: 5 दिनांक 30.11.2017 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उनके पत्र संख्या:GP/DS/2017-18-5 दिनांक 02.12.2017 **{क्रमांक-1}** के द्वारा जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक **₹2,79,040 (परिशिष्ट-10)** सामान्य निधि खाते से दूसरी योजनाओं के खातों में हस्तांतरित की गई थी जिसे अंकेक्षण अवधि तक सामान्य निधि को वापिस हस्तांतरित नहीं किया गया था। उक्त हस्तांतरित राशि में से ₹251,275. मनरेगा योजना तथा ₹27,765BRGF खाते को हस्तांतरित किये गए है। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा न तो इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के सम्बन्धित प्रस्तावों जिसके द्वारा उक्त हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया न ही यह स्पष्ट किया गया कि किन नियमों के अनुसार यह हस्तांतरण पंचायत स्तर पर अधिकृत थे। ऐसी स्थिति में जिन योजनाओं को उक्त राशि हस्तांतरित की गई है उन योजनाओं में ये प्राप्त अनुदानों से अधिक किये गए व्यय हैं, जिस बारे नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेते हुए नियमित कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 2011-12 में स्वीकृत आवास निर्माण कार्य 31.03.2017 तक भी पूर्ण न पाया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट-10 की तालिका-2 के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में आवास निर्माण हेतु स्वीकृत ₹2,95,500. में से ₹2,26,000 लाभार्थी को दे दी गई थी जबकि ₹69,500 दिनांक 31.03.2017 तक देने को शेष थी। लम्बित पड़े कार्यों के बारे पूछे जाने पर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा यह सूचना प्रदान कि गई की लाभार्थी द्वारा स्वीकृत पत्रों की शर्तों के अनुसार आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था जिस कारण उन्हें बाकि बची राशि नहीं दी गई है। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है की सरकार द्वरा स्वीकृत योजना से लाभार्थी पांच वर्षों से भी अधिक समय पश्चात् भी वंचित है जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच कर अधूरे पड़े कार्यों

की शेष बची राशि को जारी कर पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि जरूरत मंद को योजना का लाभ मिल सके, अन्यथा IAY खाते में शेष पड़ी राशि को सम्बंधित संस्था को वापिस किया जाए ताकि व्यर्थ पड़ी राशि का सदुपयोग हो सके, जिसका विवरण **परिशिष्ट-10** के क्रम संख्या 2 के अनुसार निम्न प्रकार से है|

नं	लाभार्थी का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	प्रेम सिंह	18.09.13	75000/-	22000/-
2	राम पाल	2011-12	48500/-	7500/-
3	जोगिन्दर	18.09.13	75000/-	25000/-
4	नरेश	2011-12	48500/-	7500/-
5	बीर सिंह	2011-12	48500/-	7500/-
			295500/-	69500/-

21 **बी.आर.जी.ऍफ़.योजना में राशि उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थियों को देय ₹0.67 लाख का लम्बित पाया जाना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट-10 के क्रम संख्या 3 के अनुसार आवास निर्माण की देय राशि उक्त योजना में राशि उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थियों को प्रदान नहीं की गई है जबकि सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार उक्त लाभार्थियों ने 31.03.2017 से पहले आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया था। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन सचिव द्वारा योजना की राशि/ लेखों का रखाव सही ढंग से न कंरने के कारण एक जरूरतमंद लाभार्थी को योजना से मिलने वाली सहायता से वंचित होना पड़ा, जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच की जाए क्योंकि सचिव द्वारा उक्त आवासों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि को किसी अन्य प्रयोजन पर व्यय करने के कारण उस धनराशी के असली हक़दार को उससे मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित रहना पड़ा है। अतः उक्त प्रकरण की जाँच के साथ निम्नतालिका में दर्शाए गए लोगों को आवास निर्माण की शेष पड़ी राशि जारी करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

नं	लाभार्थी का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	चिया देवी	2011-12	38500/-	18500/-
2	बिरजू	2011-12	38500/-	18500/-
3	शिन्घू	2011-12	38500/-	7500/-
4	सरस्वती	---------	------	7500/-
5	काका राम	---------	------	7500/-
6	धरम सिंह	---------	------	7500/-
			कुल	**67000/-**

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही की बैंक पास बुक से मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स जारी रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

23 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

24 लघु आपत्ति विवरणिका :-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय राशि को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान

व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

25 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)22/2018 खण्ड–1–3157–3160 दिनांक 09.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881